न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
॥ बाल कार्यालय राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।

क्रमांक:- 2483 दिनांक:- 23.9.86

वाद संख्या:- 1. 10/83॥26॥
2. 10/83॥29॥
3. 10/83॥30॥
4. 10/83॥45॥
5. 10/83॥46॥
6. 10/83॥48॥.
7. 10/83॥50॥.
8. 10/83॥57॥
9. 10/83॥59॥
10. 10/83॥67॥
11. 10/83॥70॥
12. 10/83॥76॥
13. 10/83॥79॥
14. 10/83॥98॥
15. 10/83॥138॥
16. 10/83॥140॥
17. 10/83॥145॥
18. 10/83॥146॥
19. 10/83॥158॥

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कालोनी बनाने हेतू अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम श्योपुर, सांगानेर, बम्बाला का उपरोक्त वादों की कुल भूमिरकबा 50 बीघा 12 बिस्वा।

पीठासीन अधिकारी:- 1- श्री बी0एम0शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान-जयपुर।

पक्षकारान:-
1. श्री रामदेव भैरू पिता भूरा
2. श्री रामस्वरूप चेएण नारायण दास
3. श्री उगल्या छोटू पिता घासी, गफूर पुत्र छोटू
4. श्री झूथा छगना, राम सहाय पिता बालू हि. 3/4

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

बेवा भूरा हि. 1/4 माता खुद ।

5. श्री मूलचन्द रूंगनाथ पिता जमन हि. 2/3 भौरी लाल नानगराम गुलाब चन्द गोपाल लाल रामचन्द पप्पूलाल पिता सेवा हि. 1/3

6. श्री गोविन्दा पुत्र ग्यारसा ।

7. श्री मोता राम पुत्र गंगा बक्ष

8. श्री हनुमान सहाय पुत्र रामचन्दा

9. श्री राम लाल पुत्र लालू माली

10. श्री नाथू लाल गोपाल पिता लादू माली

11. श्री गोपी, फुल्या, लड्डू, मोती, नानू पिता मूरली

12. श्री नानगा पुत्र प्रताप जाति माली

13. श्री लादू पुत्र मुरली

14. श्री गोविन्दा खीमरो पिता ग्यारसा जाति माली

15. श्री बाबू लाल पुत्र गोपाल

16. श्री मोहरू पुत्र भैरू ।

17. श्री भौरी लाल पुत्र रूंगनाथ हि. 1/2 बिरधी चन्द हजारी लाल पिता चतरू हि. 1/3

18. श्रीमती संतोष कुमारी शर्मा पत्नि कस्तुर चन्द एवं श्रीमती कस्तूरी देवी बेवा रामेश्वर प्रसाद ।

19. श्री रामचन्द्र वैगरह ब.नं. 436/2

20. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर जरिये श्री एल०सी० गुप्ता, भूमि अवाप्ति अधिकारी ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकासएवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय कालोनी हेतु ग्राम, श्योपुर, सांगानेर, बंबाला एवं खोखावास जिला जयपुर की 1213 बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधितकिया जायेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक प07।3।नविआ/83 दिनांक 22.8.83 को जारी की गई जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22.8.83 को प्रकाशित की गई ।

2- तत्पश्चात राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की प्रति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की

....3

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उपधारा॥1॥ में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय-विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक प07॥20॥ नविआ/111/83 दिनांक 19मार्च, 1984 जो राजस्थान राजपत्र के भाग 1 ॥ख॥ में दिनांक 19 मार्च, 1984 को प्रकाशित हुई के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 17॥4॥ की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात नियमानुसार संबंधित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9॥1॥ को नोटिस दिनांक 23.5.84 को जारी किया गया । उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई जिसके अनुसार दिनांक 11.6.84 को कुल 1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया । शेष भूमि का कब्जा स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया गया । उक्त 1173 बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लेकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सम्भलवाया गया ।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की 9॥3॥ के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से कुल 50 बीघा 12 बिस्वा का ही अवार्ड दिया जा रहा है । अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	वाद संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं0	भूमि का क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा
1.	10/83॥26॥	श्री रामदेव भैरू पिता भूरा	306	0	10
2.	10/83॥29॥	श्री रामस्वरूप चेयण नारायण दास	2/1545	1	03
3.	10/83॥30॥	श्री उगल्या छोटू पिता घासी हि. 1/2 गफूर पुत्र छोटू	56/1546	0	11
4.	10/83॥45॥	श्री झूथा छगना राम-सहाय पिता बालू हि. 3/4 व जगदीश पिता भौरा नाबालिग संरक्षक मौता बेवा भूरा हि. 1/4 माता खुद	874 878	3 2 --- 5 ---	12 00 ---- 12 ----

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्र0सं0	वाद संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं0	बीघा	बिस्वा
5.	10/83॥46॥	श्री मूलचन्द रूंगनाथ पिता जमन हि. 2/3 भौरीलाल नानगराम गुलाबचन्द गोपाल लाल रामचन्द्र पप्पू लाल पिता सेवा हि. 1/3	875	1	08
6.	10/83॥48॥	श्री गोविन्दा पुत्र ग्यारसा	877	3	08
			881	1	07
				4	15
7.	10/83॥50॥	श्री भौलाराम पुत्र गंगा बक्ष	880	1	10
8.	10/83॥57॥	श्री हनुमान सहाय पुत्र राम चन्दा	895	0	17
9.	10/83॥59॥	श्री रामपाल पुत्र लालू माली	908	0	15
10.	10/83॥67॥	श्री नाथू लालू गोपाल पिता लादू माली	950	0	11
			952	0	15
			953	0	14
			1042	0	09
				2	09
11.	10/83॥70॥	श्री गोपी, फुल्या, लड्डू, मोती, नानू पिता मुरली	965	3	06
			966	1	03
			1013	3	06
			1014	0	03
			1023	1	05
			1024	1	09
			1025	0	02
			1026	0	07
				11	01
12.	10/83॥76॥	श्रीनानगा पुत्र प्रताप जाति माली	1016	1	05
			1017	0	03
				1	08
13.	10/83॥79॥	श्री लादू पुत्र मुरली	1045	0	19

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान

क्र०सं० वाद संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं०	बीघा	बिस्वा
14. 10/83(98)	श्री गोविन्दा खीमारा पिता ग्यारसा जाति माली	70	4	18
		70/578	1	07
		70/582	0	06
		70/583	2	06
		70/579	0	03
		70/580	0	08
		70/584	1	04
		70/585	2	19
			13	11
15. 10/83(138)	श्री बाबू लाल पुत्र गोपाल	380	0	07
16. 10/83(140)	श्री मेहरू पुत्र भैरू	389	0	02
17. 10/83(145)	श्री भौरी लाल पुत्र रूंगनाथ बिरधी चन्द हजारीलाल पिता चतरू हि. 1/3	43	0	03
		51/591	0	01
		51	0	02
			0	06
18. 10/83(146)	श्रीमती संतोष कुमारी शर्मा पत्नि कस्तुर चन्द एवं श्रीमती कस्तुरी बेवा रामेश्वर प्रसाद	139	1	05
19. 10/83(158)	श्री रामचन्द्र वैगरह ब.नं. 436/2	438/2	2	03
		कुल भूमि	50	12

उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज है, अतः तद्नुसार अवार्ड दिया जा रहा है ।

6- अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिया गया इनमें से वाद संख्या 10/83(67) एवं 10/83(79) में दावेदार द्वारा क्लेम पेश किया गया । शेष खातेदारों द्वारा क्लेम पेश नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध इक तरफा कार्यवाही की गयी एवं राजस्थान आवासन मंडल को निर्देश दिये गये कि वे तकमीना पेश करें । राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निम्न प्रकार तकमीना पेश किया गया :-

1- वाद संख्या 10/83(45) छूथा छगना राम सहाय पिता बालू हि. 3/4 व जगदीश पिता भौरा नाबालिग संरक्षक मोता बेवा भूरा हि. 1/4 माता खुद ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

आर०सी०सी० कुआ- खसरा नम्बर 878

पूर्ण रूप से ध्वस्त, कोईबिजली कनैक्शन लगा हुआ नहीं है । कुआ 1981 की बाद में कुआ ध्वस्त हो गया था, उसके बाद से कुऐं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है । इसलिए इसका कोई भुगतान किया जाना संभव नहीं है ।

खसरा नम्बर 874

1- आर०सी०सी०कुआ-		20,072.50
2- इलेक्ट्रिक घूमटी-		427.50
3- एड फर प्लास्टर-		123.85
5प्रतिशत डिडक्शन फार पूअर फिनिश	।-।	6.19
	योग	20,617.66

2- वाद संख्या 10/83।70।गोपी,फुल्या,लडू,मोती,नानू पिता मुरली

1- कुआ		3,524.00
2- प्लेटफार्म		151.13
3- बिजली की घुमटी		291.46
4- थैच रूप हट		1,073.60
5- मडवाल थैच रूप हट		1,611.24
6- कुआ		2,093.76
7- बोरिंग		9,186.67
8- प्लेटफार्म		385.84
9- बिजली की घुमटी		298.84
10- निर्माण		23,570.34
	कुल	42,186.88

3- वाद संख्या 10/83।76।नानगर पुत्र प्रताप जाति माली

1- कुआ व प्लेटफार्म		10,892.75
2- बोरिंग		7,667.41
3- घुमटी		427.50
	कुल	18,987.66

4- वाद संख्या 10/83।79।लादू पुत्र मुरली

1- साधारण मिट्टी का डोला	81.69
	81.69

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

5- वाद संख्या 10/83।98।गोविन्दा खीमरा पिता ग्यारसा जाति माली

1- मिसेनरी वैल	6868.69
2- बोरिंग	9186.75
3- बिजली की घुमटी	338.84
4- के.सी.पाईप	1024.68
5- मडवाल थैच रूफ हट	1657.93
6- वाटर टैंक	227.96
7- थैच रूफ हट	633.82
8- वाटर चैम्बर	235.63
9- ब्रिक हट	739.83
योग	20914.13

6- वाद संख्या 10/83।140।मोहरू पुत्र भैरू

1- झोपड़ी	416.31

7- वाद संख्या 10/83।145।भौरी लाल पुत्र रूंगनाथ हि. 1/2 बिरधी चन्द हजारी लाल पिता चतरू हि. 1/3

1- कुआ	8055.55
2- बोरिंग	9186.75
3- प्लेटफार्म	147.69
4- घुमटी	591.08
5- वाटर टैंक	149.89
योग:-	18130.96

8- 10/83।146।श्रीमती संतोष कुमारी शर्मा पत्नि कस्तूर चन्द एवं श्रीमती कस्तूरी बेवा रामेश्वर प्रसाद ।

1- हैंड पम्प व बोरिंग	10165.50
2- बायोगैस मय होदी व खड्डे	826.05
3- कैच रूफ हट	264.00
योग	11255.55

शेष पत्रावलियों में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया ।

7- उपरोक्त मामलों में दावेदारों द्वारा अपने समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है ।

8- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब के समर्थन में तीन विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 24 अक्टुबर 1983, 15 मार्च 1984, एवं 30.5.83 की प्रतियां पेश की गई ।

........8

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

9- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब में यह अंकित कियागया है कि इस कृषि भूमि की कीमत अधिक से अधिक रूपये 10,000/- प्रतिबीघा हो सकती है इससे अधिक कदापि नहीं एवं अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24.10.83 जिसमें ग्राम श्योपुर की 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि रूपये 29,999/- में बेची गई है, को फोटो पेश की है जिसके अनुसार उक्त भूमि की कीमत रूपये 9,523/-प्रतिबीघा है, किन्तुइस विक्रय पत्र में का अध्ययन करने से यह तथ्य जानकारी में आता है एवं यह विक्रय पत्र में भी अंकित किया गया है:-

" यह भूमि बंबाला नदी के पास स्थित है । विगत बाढ के समय आधी से ज्यादा जमीन नदी की चपेट में आ जाने से खाले पड़ रहे हैं तथा आधी से अधिक जमीन नदी के रूप में है तथा शेष डेढ या पौने दो बीघा जमीन ही कार्य की है । उक्त भूमि पर किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है-----------

इस प्रकार यह विक्रय पत्र की प्रति जो पेश की गई है उसमें विक्रय तो 3 बीघा 2 बिस्वा दिया जानाबताया गया है लेकिन वास्तविक रूप से जमीन आधी या एक चौथाई ही विक्रय की गई है एवं चूंकि इस भूमि में किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है इसलिए इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर निश्चित किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहींहोगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने कथन के समर्थन में अन्य विक्रय पत्र दिनांक 15.3.84 की प्रति पेश की गई है जिसमें ग्राम श्योपुर में 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा रूपये 30,000/- में विक्रय किया गया जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 7,500/- रूपये प्रतिबीघा है । इस विक्रय पत्र के अन्त में यह लिखा गया है कि "विक्रय की गई कृषि भूमि कस्बे से करीबन 3 किलोमीटर अन्दर क्षेत्र में है तथा भूमि किसी भी रोड साइड पर नहीं है एवं भूमि बारानी है ।

इस प्रकार इस विक्रय पत्र के द्वारा कस्बे से 3 किलोमीटर अन्दर जाकर भूमि विक्रय की गई है, अतः इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वाराअपने पक्ष के समर्थन में ग्राम बंबाला की 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा दिनांक 30.3.83 को रूपये 25,000/- में विक्रय किये जाने पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग रूपये 9,500/- आती है । इस विक्रय पत्र में यह नोट लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि टोंक रोड से करीबन 1-1/2 मीलअन्दर क्षेत्र में है इसलिए मेरे विचार में इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

..........9

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पक्ष के समर्थन में कोई अन्य सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ।

10- मैंने इन प्रकरणों में सम्बन्धित मौके का निरीक्षण किया एवं पत्रावलियों में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा सम्बन्धित पक्षकारों की बहस सुनी यह भूमि जयपुर शहर के निकट सांगानेर टाउन के समीप स्थित है एवं इसके समीप की सांगानेर हवाई अड्डा भी स्थित है । अत: भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिकोण से भूमि की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है ।

11- उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में मुआवजा निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

॥1॥वाद संख्या 10/83॥26॥श्री रामदेव, भैरू पुत्र भूरा

1- कुल भूमि 10 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये	11500.00
2- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार	200.00
3- झोपडी का मुआवजा रा.आ.मण्डल के अभियंता के अनुसार	1551.00
4-	
	13251.02
4- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा मुआवजा पर 10% की दर से	1325.10
	14576.12
5- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 23.9.86 तक:-	1332.21
	15908.33

॥2॥ वाद संख्या 10/83॥29॥रामस्वरूप चेला नारायण दास

1- कुल भूमि 1 बीघा 03 बिस्वा इसमें से मन्दिर की 1 बिस्वा छोड़ते हुए 1 बीघा 02 बिस्वा का मुआवजा 23,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये:-	25300.00
2- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% की दर से:-	2530.00
	27830.00
3- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 11.6.84 से 23.9.86 तक:-	2543.58
	30373.58

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

........10

।3। वाद संख्या 10/83।30। डगल्या, छोटू पुत्र घासी 1/2 गफूर पुत्र छोटू हि. 1/2

1- कुल भूमि 11 बिस्वाका मुआवजा रूपये 23,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 12650.00

2- पेड का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार:- 100.00

12750.00

3- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से :- 1275.00

14025.00

4- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक:- 1281.84

15306.84

।4। वाद संख्या 10/83।45। झूथा, छगना, राम सहाय पुत्र बालू 3/4 हि. जगदीश पुत्र भौरा नाबालिग संरक्षक मोता बेवा भौरा हि. 1/4

1- कुल भूमि 5 बीघा 12 बिस्वा का मुआवजा रूपये 24,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 134400.00

2- कुए आदि का तकमीना रा.आ.मंडल के अनुसार:- 20617.66

3- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार 300.00

155317.66

4- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से:- 15531.76

170849.42

5- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक का:- 15615.16

186464.58

।5। वाद संख्या 10/83।46। श्री मूलचन्द, रूंगनाथ पुत्र जगन 2/3 हि. भौरी लाल, नानगराम, गुलाब चन्द गोपाल पप्पू लाल पुत्र सेवा 1/3 हि:-

---

1- कुल भूमि का 1 बीघा 08 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 32200.00

2- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10% की दर से :- 3220.00

35420.00

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

.......।।

3- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक:- 3237.29

38657.29

श्री मूलचन्द रूंगनाथ पुत्र जगन हि.2/3 25771.52

श्री भौरी लाल, नानगराम गुलाब चन्द गोपाल पप्पू लाल पुत्र सेवा हि. 1/3 12885.76

॥6॥ वाद संख्या 10/83॥48॥ गोविन्दा पुत्र ग्यारसा

1- कुल भूमि 4बीघा 15 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 109250.00

2- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार:- 50.00

3- 109300.00

3- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से:- 10930.00

120230.00

4- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर सेसाधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक:- 10988.69

131218.69

॥7॥ वाद संख्या 10/83॥50॥ भोलाराम पुत्र गंगाबक्ष

1- कुल भूमि 1 बीघा 10 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 34500.00

2- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10 %की दर से:- 3450.00

37950.00

3- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर सेसाधारण बजया दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक:- 3468.52

41418.52

॥8॥ वाद संख्या 10/83॥57॥ हनुमान सहाय पुत्र रामचन्दा

1- कुल भुमि 17 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 19550.00

2- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10 %की दर से:- 1955.00

21505.00

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

3- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक:- 1965.49

23470.49

॥9॥ वाद संख्या 10/83॥59॥ श्री रामपाल पुत्र लालू

1- कुल भूमि 15 बिस्वा का मुआवजा रूपये 24,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 18000.00

2- पेडों का व डोले का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार व रा.आ.मण्डल के अभियंताओं के अनुसार 1200.00

76.16

19276.16

3- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से:- 1927.61

21203.77

4- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक 1937.96

23141.76

॥10॥वाद संख्या 10/83॥67॥ नाथू, लालू, गोपाल पुत्र लादू

1- कुल भूमि 2 बीघा 08 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये 56350.00

2- पेडों व डोले का मुआवजा रा.आ.मंडल के अभियंता के अनुसार 2840.00

59190.00

3- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से:- 5919.00

65109.00

4- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक:- 5950.78

71059.78

॥11॥ वाद संख्या 10/83॥70॥गोपी, फुल्या, लड्डू, मोती बाबू पुत्र मुरली राहिन बैंक आफ इण्डिया

.........13

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1- कुल भूमि 11 बीघा 01 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 254150.00

2- कुआ व अन्य निर्माण का मुआवजा रा. आ. मंडल के अनुसार 42186.88

296336.88

3- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से:- 29633.68

325970.56

4- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक 29792.81

355763.37

॥12॥ वाद संख्या 10/83॥76॥ नानगर पुत्र प्रताप

1- कुल भूमि 1 बीघा 08 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 32200.00

2- कुऐ आदि का मुआवजा रा.आ.मंडल के अनुसार:- 18987.66

3- पेडों का मुआवजा रा.आ.मंडल के अभियंता के अनुसार:- 1190.00

52377.66

4- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से:- 5237.76

57615.42

5- मुआवजे की राशि पर 4%/वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक:- 5265.89

62881.31

॥13॥ वाद संख्या 10/83॥79॥ नाथू, कालू, गोपाल पुत्र लादू

1- कुल भुमि 19 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये 21850.00

2- डोले का मुआवजा रा.आ.म.के अनुसार 81.69

21931.69

3- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10% की दर से:- 2193.16

24124.85

4- मुआवजे की राशि पर 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक:- 2204.94

26329.00

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

....

॥14॥ वाद संख्या 10/83॥98॥ गोविन्दा, खीमरा पुत्र ग्यारसा

1- कुल भूमि 13 बीघा 11 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये 311650.00
2- कुऐं आदि का तकमीना रा.आ.मं.के अनुसार 20914.13
3- पेड़ों का मुआवजा मौके की स्थिति केअनुसार 5400.00

337964.13

4- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर10% की दर से 33796.41

371760.~~00~~ 54

5- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक11.6.84से23.9.86तक 33977.89

405738.43

॥15॥ वाद संख्या 10/83॥138॥ बाबू लाल पुत्र गोपाल

1- कुल भूमि 07बिस्वा का मुआवजा 23,000/- रूपये प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 8050.00
2- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर10%की दर से:- 805.00

8855.00

3- मुआवजे की राशि पर4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक 11.6.84 से 23.9.86 तक 809.32

9664.32

॥16॥ वाद संख्या10/83॥140॥ मोहरू पुत्र भैंरू

1- कुल भूमि 02 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23,000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 2300.00
2- झौंपडी का तकमीना रा.आ.मं. के अनुसार 416.31

2716.31

3- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर10%की दर से 271.63

2987.94

4- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दि0 11.6.84 से 23.9.86तक 273.08

3261.02

॥17॥ वाद संख्या10/83॥145॥भौरी लाल पुत्र रूंगनाथ, बिरधी चन्द हजारी लाल पिता चतरू ।

1- कुल भूमि बिस्वा 06 का मुआवजा रूपये 23000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 6900.00
2- कुए आदि का तकमीना रा.आ.मंडल के अनुसार 18130.96

25030.96

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

3- अनिवार्य अवाप्ति मुआवजा पर 10%वार्षिक दर से 2503.09

27534.05

4- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दिनांक11.6.84 से 23.9.86 तक 2516.53

30050.58

॥18॥ वाद संख्या10/83॥146॥श्रीमती संतोष कुमारी शर्मा पत्नि कस्तुर चन्द, श्रीमती कस्तुरी देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद ।

1- कुल भूमि 1 बीघा 05 बिस्वा का मुआवजा रूपये 23000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 28750.00

2- कुऐं आदि का तकमीना रा.आ.म.के अनुसार 11255.55

3- 40005.55

3- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा10%वार्षिक दर से 4000.55

44006.10

4- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दि0 11.6.84 से 23.9.86 तक 4022.03

48028.13

॥19॥ वाद संख्या10/83॥158॥ रामधन पुत्र छाजू मीणा

1- कुल भूमि 2 बीघा 03 बिस्वा का मुआवजा रूपये23000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये:- 49450.00

2- पेडों का मुआवजा मौके की स्थिति के अनुसार 500.00

49950.00

3- अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा10%की दर से 4995.00

54945.00

4- मुआवजे की राशि पर 4%वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दि0 11.6.84 से 23.9.86 तक 5021.82

59966.82

इस प्रकार आज दिनांक 23.9.86 को कुल 50 बीघा 12 बिस्वा का अवार्ड घोषित किया गया । अधिनियम की धारा 12॥1॥ के अनुसार अवार्ड सभी पत्रावलियों में शामिल फाईल हो एवं धारा 12॥2॥ के अनुसार सम्बन्धित

......16

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

दावेदारान को सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर एवं तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित हो ।

अवार्ड सरे इजलास सुनाया गया ।

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषीत है:-

॥1॥ श्रीमान शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0जयपुर ।

॥2॥ श्रीमान आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

॥3॥ सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

॥4॥ तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

॥5॥ सम्बन्धित खातेदार/हितधारी श्री ------------------------------

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

पी/